रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 146] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 14, 1973/ज्येष्ठ 24, 1895

No 146] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 14, 1973/JYAISTHA 24, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 14th June 1973

G.S.R. 318(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 275/67-Central Exises, dated the 21st December, 1967, namely:—

In the said notification, the following paragraph shall be added at the end, namely:—

"2. For the purpose of determining the quantity of raw naphtha entitled to exemption under this notification, if out of the quantity of raw naphtha received by any refinery declared as such under sub-rule (2) of Rule 140 of the Central Excise Rules, 1944, any quantity is returned after such use to the refinery from which the raw naphtha was received for further processing and/or blending for production of finished excisable goods falling under items 6 to 11-A of the said First Schedule, such quantity shall be excluded".

[No. 134/73.]

K. VISWANATHAN, Under Secy

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 14 जून, 1973

सा० का० नि० 318 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 275/67—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 21 दिसम्बर, 1967 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, निम्नलिखित पैरा अन्त में जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"2—इस अधिसूचना के अन्तर्गत छूट के लिए हकदार कच्चे नैफ्था की मात्रा अवधारित करने के प्रयोजन के लिए, यदि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 140 के उपनियम (2) के अधीन इस प्रकार घोषित किसी परिष्करणी द्वारा प्राप्त कच्चे नैफ्था की मात्रा में से कोई मात्रा उस परिष्करणी को, जिससे कच्चा नैफ्था उक्त प्रथम अनुसूची की मद 6 से 11—क तक के अन्तर्गत आने वाले परिसाधित उत्पाद-शुल्क योग्य माल के उत्पादन के लिए आगे और प्रसंस्करण करने और/या सम्मिश्रण करने के लिए प्राप्त किया गया था, ऐसे उपयोग के पश्चात् लौटा दी जाती है, तो उतनी मात्रा छोड़ दी जाएगी।"

[सं० 134 / 73]

के० विश्वनाथन, उप-सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973